20.8.18

पत्रावली पेश हुई। वकील उत्तरपक्ष/प्रार्थीगण उप०। प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रा०प० बावत कब्जा दुकान बनाये जाने का पेश किया जिसे स्वीकार किये जाने पर वकील अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है अतः प्रा०प० बावत कब्जा दुकान बनाये जाने का स्वीकार किया जाता है। उत्तरपक्षगण ने एक प्रा०प० बावत राजीनामा का पेश कर निवेदन किया कि उन्हें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 10.7.17 को जारी स्वीकार आदेश निर्णय स्वीकार है। प्रार्थीगण ने कहा कि उन्हें हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.7.17 पर कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त के निर्णय दिनांक 10.7.17 के अनुसार रास्ता देने को तैयार है। उत्तरपक्षगण ने कहा कि चूंकि प्रकरण में रास्ते के बावत कोई विवाद नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा जमा कराई गई राशि को लौटाया जावे।

उत्तरपक्षों का कहना चूंकि प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 10.7.17 को पारित निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं है अतः हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.7.17 को बहाल रखा जाता है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा जमा राशि को नियमानुसार लौटाया जावे, इस बावत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल, शुमार लेकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

रामेश्वर सिंह
रघुनाथ
दयाराम
बा.नि. भवानी देवी
बा.नि. श्रीगोपाल
[signature]
[signature]
महावीर सिंह
[signature]
[signature]
कर्मवीर सिंह
[signature]
महेन्द्र सिंह
राजकुमार
बा.नि. ओमप्रकाश